राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

(चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं)

आर.टी.डी.सी. मुख्यालय (स्वागतम होटल परिसर) रेल्वे स्टेशन, जयपुर

RECEIVED ★ 1713 28/11/24 ★ Block CMO

F.4(03)RSHAA/Policy/NHA Comm./Senior Citizen/3310 Date: 28-11-2024

आदेश

भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष एवं अधिक आयु के Senior Citizens को भी जोडे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदनुसार प्रदेश के Senior Citizens (70 वर्ष एवं अधिक आयु) को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजनान्तर्गत एक नई श्रेणी में सम्मिलित करते हुए कैशलेस उपचार देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस संदर्भ में निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. प्रदेश के 70 वर्ष एवं अधिक आयु के समस्त Senior Citizens मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजनान्तर्गत निःशुल्क श्रेणी के पात्र होंगे। आयु की गणना आधार कार्ड पर अंकित जन्म दिनांक के आधार पर की जायेगी।
2. योजना का लाभ लेने के इच्छुक Senior Citizens (70 वर्ष एवं अधिक आयु) को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सफल आवेदन के उपरांत पात्र परिवार के सभी Senior Citizens (70 वर्ष एवं अधिक आयु) मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कैशलेस उपचार का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
3. Senior Citizens (70 वर्ष एवं अधिक आयु) चाहे वे किसी भी सामाजिक-आर्थिक स्तर के हो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आवेदन कर सकेंगे।
4. पात्र परिवार के सभी Senior Citizens (70 वर्ष एवं अधिक आयु) को सामूहिक रूप से 25 लाख रूपये तक के कैशलेस उपचार का लाभ देय होगा। परिवार के अन्य सदस्य जो 70 वर्ष के कम आयु के है, इस श्रेणी हेतु पात्र नही होंगे।
5. Senior Citizens (70 वर्ष एवं अधिक आयु) को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कैशलेस उपचार योजना से सम्बद्ध निजी एवं राजकीय अस्पतालों में निर्धारित पैकेजेज के अनुसार देय होगा। उपचार का व्यय ट्रस्ट मोड पर राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।
6. राज्य एवं देश की अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीकृत/पात्र परिवारों को उनकी वर्तमान योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (Senior Citizens Category) दोनों में से किसी एक One Time विकल्प का चयन करना होगा।
7. उक्त आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी माने जायेंगे।
8. योजना की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102400991 दिनांक 19.11.2024 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(केसर लाल मीणा)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी